

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 03.03.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-13 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-:

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुनील निषाद पुत्र केशव राम निषाद नि० जैतपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-73/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सहदेव सोनकर पुत्र कन्हई लाल सोनकर नि० इमिलिया गुरुदयाल थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-169/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना को० करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. बंशी पुत्र नन्हकू नि० रुदौलिया थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-92/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 03.03.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कल्लू पुत्र स्व० बाघे उर्फ लाल मोहम्मद नि० मझवा बनकट थाना विशेषरगंज जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-60/21, धारा 8/22 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 300 टेबलेट अल्प्राजोलम।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 03.03.2021 को थाना खरगूपुर के उ०नि० प्रतीक पाण्डेय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण मे रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को नरहरिया मोड़ के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 पत्ते अल्प्राजोलम की टेबलेट बरामद किया गया। अभियुक्त के

विरुद्ध थाना खरगूपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 श्री प्रतीक पाण्डेय।
02. हे0का0 देवेन्द्र प्रताप सिंह।
03. का0 सोमपाल मौर्य।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 03.03.2021

मिलावटी शराब बेचने व शराब की बोतलों की सील व लेबल के साथ छेड़छाड़ करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. दिवाकर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह नि0 चौबेपुर थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. अनिल कुमार यादव पुत्र ओमप्रकाश यादव नि0 ग्राम मिर्जापुर पर्सन थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0स0—66/21 धारा 60/60(क), 72 आबकारी अधि0 व धारा 419,420 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 बोतल, 20 अद्धे, 18 पौवा भरी मदिरा, खाली शीशी के 23 अद्धे, 12 पौवे, 18 फुल, 23 हाफ ढक्कन व 01 अदद मोटर साइकिल।

संक्षिप्त विवरण—

जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों एवं अवैध शराब के निष्कर्षण/विक्री/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना मनकापुर व आबकारी की संयुक्त टीम ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 बोतल, 20 अद्धे, 18 पौवा भरी मदिरा, खाली शीशी के 23 अद्धे, 12 पौवे, 18 फुल और 23 हाफ ढक्कन व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मनकापुर में सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तारकर्ता टीम—

01. आब० निरीक्षक श्री सत्येन्द्र सिंह।
02. आब० निरीक्षक श्री कमलदीप कुमार।
03. उ0नि0 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह।
04. आब० प्रधान सिपाही अकलू प्रसाद।
05. का० विपिन यादव।